



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272531  
CG-DL-E-14052026-272531

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2341]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2341]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2433(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5343 तारीख 21/11/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में NH934 के कि.मी. 75.2 से कि.मी.78.9 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18/12/2025 को "फ्री प्रेस", 18/12/2025 को "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में NH934 के कि.मी. 75.2 से कि.मी. 78.9 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: छतरपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बक्सवाहा					
गांव का नाम: दरगुंवा					
1	1190	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.44	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 1190
2	1191	सरकारी (सरकारी)	सड़क	1.344	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 1191
3	1192	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.478	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 1192
4	208	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.534	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 208
5	209	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.38	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 209
6	210	सरकारी (सरकारी)	चरनोई	0.486	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 210

7	61	सरकारी (सरकारी)	सड़क	1.781	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 61
8	62	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.486	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 62
9	63	सरकारी (सरकारी)	सड़क की पटरी	0.283	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 63
10	67	सरकारी (सरकारी)	S.F. बंगला	0.07	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 67
11	70	सरकारी (सरकारी)	सड़क की पटरी	1.602	शासकीय मध्यप्रदेश शासन। 70
<b>Total</b>				<b>7.884</b>	

[फा. सं. NHA/PIU/CHHP/Eco. Corri./Sagar-Kabrai/3a/2017/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

**S.O. 2433(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 5343 Dated:21/11/2025 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH934 in the stretch of land from Km. 75.2 to Km. 78.9 in the district of CHHATARPUR in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Free Press” dated 18/12/2025 , “Dainik Bhaskar” dated 18/12/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH934 in the stretch of land from Km. 75.2 to Km. 78.9 in the district of CHHATARPUR in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: CHHATARPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Buxwaha</b>					
<b>Village: Darguwa</b>					
1	1190	Government	Road	0.44	Government of Madhya Pradesh. 1190
2	1191	Government	Road	1.344	Government of Madhya Pradesh. 1191
3	1192	Government	Road	0.478	Government of Madhya Pradesh. 1192
4	208	Government	Road	0.534	Government of Madhya Pradesh. 208
5	209	Government	Road	0.38	Government of Madhya Pradesh. 209
6	210	Government	Charnoi	0.486	Government of Madhya Pradesh. 210
7	61	Government	Road	1.781	Government of Madhya Pradesh. 61
8	62	Government	Road	0.486	Government of Madhya Pradesh. 62
9	63	Government	Road Ki Patri	0.283	Government of Madhya Pradesh. 63
10	67	Government	S.F. Bangla	0.07	Government of Madhya Pradesh. 67
11	70	Government	Road Ki patri	1.602	Government of Madhya Pradesh. 70
<b>Total</b>				<b>7.884</b>	

[F. No. NHAI/PIU/CHHP/Eco. Corri./Sagar-Kabrai/3a/2017/3D2]  
SHAIKH AMINKHAN, Director